संख्याः 380/ई–1/तेरह–2021–1259429

प्रेषक,

**उमेश कुमार तिवारी,**
उप सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1

लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2021

विषयः–समेकित प्रकरणों में जॉच अधिकारी नामित किये जाने हेतु मार्ग दर्शन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3049/पी.एस.–103/वि.का./2021/समेकित प्रकरण, दिनॉक 12–02–2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समेकित प्रकरणों में जॉच अधिकारी नामित किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी घटना के घटित होने पर यह तो उचित है कि समग्र घटना की जॉच पर एक रूपता से निर्णय लिया जाय, लेकिन यह भी उचित नहीं होगा कि सिपाही से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक की जॉच मण्डलायुक्त स्तर से करायी जाय। ऐसे प्रकरणों में जिन अधिकारियों की जॉच मण्डलायुक्त से करायी जाय वह जॉच आख्या प्राप्त होने के पश्चात तथा दण्डन अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के पश्चात कनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी के सम्बन्ध में दण्ड के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी तदनुसार निर्णय लेंगे। अतः कृपया तद्नुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव